रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2157] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2019/आषाढ़ 14, 1941
No. 2157] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2019/ASHADHA 14, 1941

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जूलाई, 2019

का.आ. 2379(अ).—पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना सं. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जम्मू कश्मीर (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण जम्मू एवं कश्मीर कहा गया है।) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगें, अर्थात्:—

1. श्री लाल चन्द - अध्यक्ष्
 गांव खेरियन, पोस्ट आफिस गोले गुजराल,
 जम्मू-180002

2. श्री नाजिर अहमद - सदस्य
 हाउस संख्या. 12, जीलानाबाद,
 लेन 1, बटपोरा, श्रीनगर- 190006

3. निदेशक, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और दूर संवेदी, -सदस्य सचिव
 जम्मू एवं कश्मीर सरकार

2. प्राधिकरण, जम्मू एवं कश्मीर के अध्यक्ष् और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, जम्मू एवं कश्मीर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, जम्मू एवं कश्मीर इस आदेश के पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति जम्मू एवं कश्मीर की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, जम्मू एवं कश्मीर की सहायता करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू और कश्मीर का गठन करती जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा - सदस्य
331, शास्त्री नगर,
जम्मू-180004

2. श्री एम. ए. ताक - सदस्य
124 मोमिनाबाद (समीप जैकफेड),
अनन्तनाग – 192101

3. श्री ब्रजभूषण शर्मा - सदस्य
278, सेक्टर 2, चानी हिम्मत, जम्मू

4. श्री अब्दुल राशिद मकरू - सदस्य
हाउस नं.- 1, लेन नं.- 11, सेक्टर – सी,
गुलशन नगर, नौगाम बाई-पास, श्रीनगर- 190019

5. प्रोफेसर अरविन्द जसरोतिया - सदस्य
33-डी, सैनिक कालोनी, जम्मू- 180011

6. डॉ. गुलाम मुहम्मद डार (एशोसिएट प्रोफेसर) - सदस्य
जम्मू और कश्मीर प्रबंधन संस्थान,
लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास मुख्य कैम्पस,
एम. ए. रोड़, श्रीनगर- 190001

7. श्री इरफान यासीन (उपाध्यक्ष, रिटा.) - सदस्य
बाघ। हैदर हैदरपोरा बाई-पास, श्रीनगर

8. प्रोफेसर एम. ए. खान - सदस्य
जनरल पोस्ट आफिस बॉक्स 726,
श्रीनगर – 190001

9. प्रोफेसर फलेन्द्रा कुमार सुदान - सदस्य
अर्थशास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू- 180006

IndiaCode

10. प्रोफेसर अनिल के. रैना - सदस्य
पर्यावरण विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू – 180006

11. प्रोफेसर शाकिल अहमद रोमशू - सदस्य
प्रथ्वी विज्ञान विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय,
श्रीनगर – 190006

12. वैज्ञानिक, भार साधक दूर संवेदी और भौगोलिक सूचना तंत्र प्रयोगशाला - सचिव

6. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू एवं कश्मीर के अध्यक्ष और सदस्य इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू एवं कश्मीर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू एवं कश्मीर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार, प्राधिकरण जम्मू एवं कश्मीर और राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू एवं कश्मीर के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, जम्मू एवं कश्मीर के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू एवं कश्मीर के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[जे-11013/31/2007-आई.ए.-II(I)]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2019

S.O. 2379(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as the Authority, Jammu and Kashmir) comprising of the following members, namely:—

(1) Shri Lal Chand - Chairman;
Village Khearian, P/O Gole Gujral,
Jammu – 180002

(2)	Shri Nazir Ahmed H.No. 12, Jeelanabad, Lane 1, Batpora, Srinagar – 190006	-	Member;
(3)	Director, Ecology, Environment and Remote Sensing, Government of Jammu and Kashmir	-	Member-Secretary.

2. The Chairman and members of the Authority, Jammu and Kashmir shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority,Jammu and Kashmir shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Jammu and Kashmir shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir constituted under paragraph 5 of this order.

5. For the purposes of assisting the Authority,Jammu and Kashmir, the Central Government, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir comprising of the following members, namely :-

(1)	Shri Subhash Chandra Sharma 331, Shastri Nagar, Jammu – 180004	-	Chairman;
(2)	Shri M. A. Tak 124 Mominabad (near JACKFED), Anantnag – 192101	-	Member;
(3)	Shri BrajBhushan Sharma 278, Sector 2, ChanniHimmat, Jammu	-	Member;
(4)	Shri Abdul Rashid Makroo House No. 9, Lane No. 11, Sector C, Gulshan Nagar, Nowgam By-Pass, Srinagar – 190019	-	Member;
(5)	Professor Arvind Jasrotia 33-D, Sainik Colony, Jammu – 180011	-	Member;
(6)	Dr. Gulam Muhammad Dar (Associate Professor) Jammu and Kashmir Institute of Management, Public Administration and rural Development, Main Campus, M.A. Road, Srinagar – 190001	-	Member;
(7)	Shri Irfan Yasin (Vice Chairman, Retired) Bagh I Hyder Hyderpora Bypass, Srinagar	-	Member;
(8)	Professor M. A. Khan General Post Office Box 726, Srinagar – 190001	-	Member;
(9)	Professor Falendra Kumar Sudan Department of Economics, University of Jammu, Jammu – 180006	-	Member;
(10)	Professor Anil K. Raina Department of Environmental Sciences, University of Jammu, Jammu – 180006	-	Member;
(11)	Professor Shakil Ahmad Romshoo Department of Earth Sciences, University of Kashmir, Srinagar – 190006	-	Member;
(12)	Scientist, Incharge Remote Sensing and Geographic Information System Lab	-	Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Jammu and Kashmir shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Jammu and Kashmir and the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority, Jammu and Kashmir and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall be paid in accordance with the relevantrules of the Government of Jammu and Kashmir.

[J-11013/31/2007-IA-II(I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.10 21:53:41 +05'30'